

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 13/2016 (2016/00042) वाद पत्र

अनवान

1-जमना पुत्री सोहन कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीयां

बनाम

- 1-सोहनलाल पिता बख्तावर कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 2-हेमराज पिता सोहनलाल कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 3-हगामी पुत्री सोहनलाल पत्नी शंकरलाल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तह.रायपुर
- 4-जड़ाव पुत्री सोहनलाल कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 5-अमरी पुत्री सोहनलाल पत्नी डालु कुमावत निवासी डेलास तह. करेड़ा जिला भीलवाडा
- 6-गंगा पुत्री सोहनलाल पत्नी रामलाल कुमावत निवासी रायपुर तह. रायपुर जिला भीलवाडा
- 7-राधा पुत्री सोहनलाल पत्नी लक्ष्मण कुमावत निवासी धुलखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
- 8-पारसी पुत्री सोहनलाल ब.वि.पिता सोहनलाल कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तह. रायपुर
- 9-गणी पुत्री सोहनलाल ब.वि.पिता सोहनलाल कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तह. रायपुर
- 10-हजारी पिता सोहनलाल ब.वि.पिता सोहनलाल कुमावत निवासी खुंटियाखेड़ा तह. रायपुर
- 11-उपपंजीयक एवं तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
- 12-शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीया स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खुंटियाखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 90 में अकित आराजी संख्या 14 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 15 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 66 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 140 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 150 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 154 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 171 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 201 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 222 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 245 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 246 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 252 रकबा 0.66 कुल किता 13 कुल रकबा 4.27 है0 भूमि वादिया का 1/11 हिस्सा खाता संख्या 69 में दर्ज आराजी संख्या 177 रकबा 0.06 है0, में 1/44 हिस्सा खाता संख्या 91 में दर्ज आराजी संख्या 186 रकबा 0.01 है0, मे वादिया का 1/33 हिस्सा इसी तरह ग्राम तेज्याखेड़ी खाता संख्या 88 में दर्ज आराजी संख्या 123 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 125 रकबा 1.29 है0, आराजी संख्या 289 रकबा 1.18 है0, आराजी संख्या आराजी संख्या 290 रकबा 1.19 कुल किता 4 कुल रकबा 3.69 है0 में वादिया का 1/11 में वादिया जमना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादिया के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदाजी नही करे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाडा

प्र.सं. 13/2016

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहक  
हुकम  
में

श्री मति. जगत vs सोहनलाल कुमावत नि. खुदिमाखेडा

3/3/20

पत्रावली पेश हुई इफ्तखार का सांक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिमा द्वारा वाद पत्र अर्जित धारा 88-89-188 92क RPA के अंतर्गत पेश कर विवेक के साथ कि जाम खुदिमा खेडा के नवीन खाता सं 90 में अंकित खा.सं 14 रकमा 0.34 है खा.सं 15 रकमा 0.41 है. खा.सं 66 रकमा 0.11 है खा.सं 140 रकमा 0.12 है खा.सं 150 रकमा 0.33 है. खा.सं 154 रकमा 0.03 है खा.सं 171 रकमा 0.52 है खा.सं 201 रकमा 0.22 है खा.सं 208 रकमा 0.31 है खा.सं 222 रकमा 0.44 है खा.सं 245 रकमा 0.53 है खा.सं 246 रकमा 0.25 है खा.सं 252 रकमा 0.66 है कुल 13 रकमा 4.27 है इसी तरह खाता सं 69 में अंकित खा.सं 177 रकमा 0.06 है, खाता सं 91 में अंकित खा.सं 186 रकमा 0.01 है है शक्ति तथा इसी तरह जाम तेजभा खेडी के नवीन खाता सं 88 में अंकित खा.सं 123 रकमा 0.03 है. खा.सं 125 रकमा 1.29 है खा.सं 289 रकमा 1.18 है खा.सं 290 रकमा 1.19 है शिवा 4 रकमा 369 है. अर्जित है. उपरोक्त सभी कृपि करारजिमात वादिमा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता बन्तावर के समग्र से चली कारखाने के प्रमाण में जाम खुदिमा खेडा व तेजभा खेडी भी जामावन्दी सर्वत 2069 से 2072 भी पति पेश की गयी।

वाद के आत्मस 1 के वर्गीत खाता सं 90 सम्पूर्ण, खाता सं 69 में प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा व खाता सं 69 में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा खाता सं 91 में प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 खाता सं 88 में प्रतिवादी सं. 1 का सम्पूर्ण हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 से 10 प्रतिवादी संख्या 1 भी जामावन्दा सहाठ है. वादिमा प्रतिवादी कृतांक 1 भी जामावन्दा पुत्री दामत प्रवाम जेगी भी वारिस की शक्ति कोरुपी प्रतिवादी वादिमा के अपन हक से सदरजत करान चाहते

103

है तथा बँदखत कराना चाह रहे हैं। ऊपर वादिमा का  
स्वीकार कर बन्दखत वादिमा विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय  
की घोषणात्मक डिक्ली करवाई जावे कि वादिमा जाम  
खुर्दमा के खाता नं. 90 में अंकित कुल मिला 13  
रकबा 4.27 ई में 1/11 हिस्सा, खाता नं. 69 में अंकित  
मिला 1 रकबा 0.06 ई में 1/4 हिस्सा खाता नं. 91 में  
अंकित मिला 1 रकबा 0.01 ई में 1/33 हिस्सा व जाम  
तेजा खेड़ी के खाता नं. 88 में कुल मिला 4 रकबा  
3.69 ई. में 1/11 हिस्सा भी खातदार का मतवाह है तथा  
इकाई में वादिमा के नाम दर्ज कराया जावे वादिमा को  
बँदखत नहीं करे तथा शाहीपूरक उपरोक्त उपरोक्त करके  
देवे वाद पेश होन पर

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार मिला जाम प्रतिवादीजबको  
जरीम सम्मति तत्काल मिला जरीम प्रतिवादी काव खरुड खचन  
उपाखेत नही होन से एक तरफ वादिमा की भी मिला  
मिला गया।

वादिसा द्वारा ऊपर वाद पेश करके पर

- किन्तु तहसीलत कायम की गयी।
- (1) न्या विचारित आशयिमत पैत्रिक है
  - (2) न्या पैत्रिक सम्पति पर वादिमा पिता के मितित  
रहे ऊपर हिस्सा लेके न्या आदेश रखी है
  - (3) ऊपरके

वाद के समर्थन में तहसी। वाकत वादिमा के  
द्वारा जाम खुर्दमा की सवत 2059 से 2055 की  
जामकी खाता नं. 44 की पेश की गयी जो बस्तावर के  
नाम सामिक आशयिमत मिला 10 रकबा 15 कालिया  
की विख्या मिला दर्ज है इसी तरह खाता नं. 18  
मिला 11 रकबा 15 कालिया 01 विख्या मिला के बस्तावर का  
1/6 हिस्सा दर्ज है खाता नं. 30 सोहनलाल के

62

गण फिता २२कका पवीया १९ विश्व कानि दर्ज है,  
 खाता नं ६४ मे आ.नं ९५ रकका ०.६ पिन्ना कानि  
 सोहनलाल के नाम ५५ दिवस से दर्ज है. गण तेजमाखेडी  
 की जमावकी सर्वत २०५४ से २०५१ खाता नं. ७१ पर फिता  
 ५२कका ६वीया ०२ विश्व कानि सोहनलाल के नाम दर्ज  
 है. साथ के सिविल इंजिनियर भी प्रमाणित प्रति पेश  
 की जो शासित पदावली व इससे प्रमाणित है कि  
 वादिवा द्वारा वाद मे वर्गीत कानि पेंडिंग होकर वादिवा  
 के पितर के नाम दर्ज है. इस नरमी का सिविल  
 अदलत वादिवा विरुद्ध प्रतिवादी किया जाय व

(२) नरमी २ मे अदलत किया कि गण पेंडिंग कानि मे  
 वादिवा के पितर के जीवित इतल अपन दिवसा के  
 का अधिकातर रखती व

इस नरमी का गण वादिवा पर था वादिवा  
 ने नरमी १ के इतल वाद वर्गीत कानि पेंडिंग होकर  
 वरिमाठ के पितर के नाम होकर सावित कराय अिसल  
 नरमी १ का सिविल अदलत वादिवा किया गया इसके  
 साथ वादिवा ने अपने अघाठ व श्रीमति कावली  
 १०/१० रककाली लाल कुमावत के साथ पत्र पेश कर  
 अिसल किया कि वादिवा प्रतिवादी सर्वत १. सी प्रती  
 है गण अदुरालत रामपुर मे है. गण खुदिभारवेड व  
 तेजमाखेडी मे वर्गीत कानि वादिवा की पेंडिंग है अिसल  
 वादिवा का ५॥ दिवस व इसके साथ प्रतिवादी का  
 ॥ अदरतीलदाट रामपुर द्वारा दिनांक १५.५.१७ का रिपोर्ट  
 पेश की अिसल वादिवा के प्रतिवादी, सोहनलाल भी प्रती  
 काना कुल २ पत्र ४ प्रतीका होकर अिसल किया अिसल  
 वादिवा के नाम अिसल दिवसे अदुरालत कानि दर्ज किया जाय

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

अर्चित कता कोई आपत्ति नहीं होगी (विश्व)  
इससे नतीजा 2 का गिकीय कदम वादिया विरुद्ध  
प्रतिवादी किया जाता है

अप्रोपत. अपरोपत केना नतीजा का गिकीय कदम  
वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगत होने से वादिया का काउ  
स्वीकार किया जाता अपरित है

कोदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत काउ स्वीकार कर कोदेश  
दिया जाता है कि गाम रकुटिया खेड के खाता सं  
90 में दर्ज आराजी नं 14, 15, 66, 140, 150, 154, 171  
0.34 0.41 0.11 0.12 0.33 0.03 0.52

201 208 222 245 246 252  
0.22 0.31 0.44 0.53 0.25 0.66  
13 रकबा 4.27 है नतीजा वादिया का 11 हिस्सा खाता  
संख्या 69 में दर्ज आ.नं. 177 रकबा 0.06 है में 1/44 हिस्सा  
खाता सं 91 में दर्ज आ.नं. 186 रकबा 0.01 है वादिया का  
1/33 हिस्सा इसी तरह गाम तेजगावड़ी खाता संख्या 88  
में दर्ज आ.नं. 123, रकबा 0.03, आ.नं. 125 रकबा 1.24 है  
आ.नं. 289, रकबा 1.18, आ.नं. 290 रकबा 1.19 है खाता  
4 रकबा 3.69 है वादिया का 11 में वादिया अमता को  
स्वीकार माचकर घोषित किया जाता है तथा  
प्रतिवादीगत के विरुद्ध इस आदेश भी स्थायी गिकीय  
जारी भी जारी है कि वादिया के कर्ज काउ में किसी  
तरह प्रत्यंत नहीं करे शाही प्रवक अपरोपत अपरोपत करत  
के, इसी कारण से जारी है कि राजस्व इकाई  
में इन्फ्रान करत है नतीजा गाम रायपुर में विरुद्ध  
पनावली केसल धुमा होकर नतीजा से करत है।

(सुन्दरलाल कवठा)  
RAS

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (बीलगाव)

